



पत्रक : कु0स0-2 B स0ज0 / 2318 / 01-550-2016/2017

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
बाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

दिनांक: 30 मई, 2017

संदेश:

प्रबन्धक,
धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय,
करमाजीतपुर, सुन्दरपुर,
वाराणसी।

घिष्य: महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संवर्ग में बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता को अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय:

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 20.02.2016 के सापेक्ष निर्गत विश्वविद्यालय के पत्रक कु0स0-2 बी स0ज0/1963/01-550-2016/2016 दिनांक 30 मई, 2016 के आलोक (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना अधिनियम-1973 की घारा-37 एवं 38 में किए गये संरोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का प्राधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के कालस्वलय सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2006-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 की संस्तुति एवं न0. कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, करमाजीतपुर, वाराणसी को किये जाने तथा सत्र 2015-16 का परीक्षाकल शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुलूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने के कालस्वरूप दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. कार्य परिषद की स्वीकृति के उपराज्ञा आदेश को दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थायी) माना जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि भागविद्यालय सम्बद्धता की रार्ट निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. रिट याचिका सं0-61859/2012 में आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालग हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (850)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालग भागविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं गानकों की मूर्त्ता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
6. भागविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अग्रिम भविष्य में हत्तर पाये जाने की विधति में सम्बंधित भागविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए भागविद्यालय प्रबंधन गूप्ति: उत्तरदायी होगा।
7. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को भागविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।